न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 44 / 2024
निर्णय दिनांक:– 29.07.2024
बइजलास:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. पदमचन्द पुत्र रतनलाल
2. सोभागमल पुत्र रतनलाल
3. ताराचन्द पुत्र रतनलाल
4. भागचन्द पुत्र रतनलाल
5. महावीरप्रसाद पुत्र रतनलाल
6. रूपचन्द पुत्र रतनलाल
7. फूला देवी धर्मपत्नी स्व. रतनलाल

   समस्त जाति महाजन/जैन निवासी ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी अजमेरी तहसील मालपुरा जिला टॉक।

वादीगण

बनाम

1. दीपेश जैन पुत्र प्रेमचन्द
2. मैना जैन पुत्री प्रेमचन्द
3. पुष्पलता देवी धर्मपत्नी प्रेमचन्द

   समस्त जाति महाजन/जैन निवासी 1312 किशनपोल बाजार जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री विनोद कुमार जैन वकील वादीगण
श्री दिलीप सिंह नरूका वकील प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 29.07.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 81 के ख.न. 311 रकबा 0.0379 है0 गैर0 मु0 चाह, खाता सं0 82 के ख0न0 301, 308, 309 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7587 है0 भूमि वाके ग्राम मोरडी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के वादीगण खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि को आगे के पेराज में विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रकाश चन्द पि.मु. केसरलाल हिस्सा 1/2 व मगनलाल पुत्र जवाहरलाल कौम

लगातार.............2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

महाजन सा. समेलिया हिस्सा 1/2 के काबिज खातेदार काश्तकार थे तथा इसी अनुसार इनके नाम खातेदारी पासबुक जारी की गई। मगनलाल के दो पुत्र रतनलाल व प्रेमचन्द है जिसमें से प्रेमचन्द बचपन में हीं वर्ष 1978—80 में गुलाबचन्द के यहां गौद चले गए तथा गौद जाने के बाद गुलाबचन्द की सम्पूर्ण सम्पति पर काबिज काश्त हुआ, इस प्रकार प्रेमचन्द, गुलाबचन्द जी के यहां गोद चले जाने से उसका मगनलाल की सम्पति/विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। उपरोक्त विवादगरस्तं भूमि में 1/2 हिस्सा मगनलाल पुत्र जवाहरलाल के नाम दर्ज थी, मगनलाल के फौत होने पर उनके लड़के प्रेमचन्द गोद चले जाने से उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का नामान्तकरण अकेले रतनलाल के नाम पंजीबद्ध किया जाना चाहिए था लेकिन चूंकि प्रेमचन्द के प्राकृतिक पिता मगनलाल थे, तथा उस समय वादीगण के पिता रतनलाल को राजस्व रिकॉर्ड की अनभिज्ञता रहने से मगनलाल के फौत होने पर उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का नामान्तकरण रतनलाल व प्रेमचन्द के नाम से तस्दीक कर दिया गया तथा उसके पश्चात् उपरोक्त भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदारी रतनलाल व प्रेमचन्द के नाम दर्ज हो गयी जो आज तक चली आ रही है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में खातेदारी गलत रूप से प्रेमचन्द के नाम दर्ज होने पर रतनलाल ने प्रेमचन्द से कहां कि वह गोद चला गया है उसके नाम उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी गलत दर्ज हो गयी है जिस पर प्रेमचन्द ने कहां कि उपरोक्त विदग्रस्त भूमि सम्पूर्ण रतनलाल की है, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है उसके नाम जो खातेदारी गलत दर्ज हो गयी है उसको कभी भी चलकर रतनलाल के नाम करवा देगा। इस आशय का लगातार प्रेमचन्द के द्वारा आश्वासन रतनलाल को देने से पिता वादीगण उस विश्वास में रहे एवं उनके द्वारा इस बाबत् कोई चारोजोही नही की गयी हालांकि कब्जा काश्त 1/2 हिस्से पर बदस्तूर पिता वादीगण का निरन्तर चला आ रहा था. उसके पश्चात् प्रेमचन्द का 04.03.2012 को देहान्त हो गया जिसके प्रतिवादीगण वारिसान है। पिता वादीगण देहान्तु हो गया जिसका नामान्तकरण सं. 179 दिनांक 24.12.1999 को वादीगण के नाम तस्दीक किया गया जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज हुयी, वादीगण जिनके भीम खातेदारी दर्ज होने पर वादीगण के द्वारा पिता/प्रतिवादीगण प्रेमचन्द व उसके पश्चात् प्रतिवादीगण को उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि उनके नाम लगवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने कहां कि विवादग्रस्त भूमि पर उनका 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण पर लगातार उनके पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उनका विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। वो कभी भी

लगातार..............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

चलकर उनका हिस्सा वादीगण के नाम लगवा देगें जिस पर भी वादीगण के द्वारा लगातार विश्वास किया गया। पिछले कुछ समय से जमीनों की कीमते बढ़ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न होने लगा एवं विवादग्रस्त सत्य प्रविलिष्टि पिता / प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने सेउनके द्वारा दर्ज अपने हिस्से का अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने की वादीगण को ऐलानिया धमकी देने लगें जिस पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 13.02.2019 को कहा कि विवादग्रस्त भूमि में जो उनके पिता के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है उसे वादीगण के नाम करावे जिस पर प्रतिवादीगण आना–कानी करने लग गये एवं वादीगण से कहाँ कि उनके पिता के दर्ज 1/4 हिस्से से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। उनकी खातेदारी उनके नाम दर्ज है वे यथाशीघ्र दीगर व्यक्तियों को बैचान कर वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करा देगें, प्रतिवादीगण के उक्त कथन पर वादीगण को बडा आर्श्चय हुआ और वादीगण को आवश्यक हुआ कि विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मन्सूबों में कामयाब हो गये तो वादीगण को असहानीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना कतई संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हुआ कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण व उनके पिता के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के हिस्से को उनके नाम लगाने का आश्वासन देने एवं उसके पश्चात् प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 13.02.2019 को उक्त भूमि को वादीगण के नाम नहीं कराने एवं विवादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर वादीगण को बेदखल किये जाने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ जो वाद अवधि अर्न्तगत प्रस्तुत है। वाद को सुनने एवं निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 की और से अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह नरूका ने वकालतनामा मय इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की। प्रतिवादी सं0 4 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। प्रतिवादी सं0 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

लगातार..............4

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीगण ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2074 वाके ग्राम मोरडी के खाता सं० 81, 82 में प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के पिता/पति प्रेमचन्द पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में वादीगण का वाद डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की तथा अपने इकबालिया जवाब के तथ्यो मे बताया की हमारे पिता के नाम दर्ज है। हमारे पिता के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा जिसके हम प्रतिवादीगण वारिसान है। वह वादीगण के नाम कर दिया जावे। हमारे पिता के नाम दर्ज हिस्से से हमारा कोई वास्ता नही है। वकील प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ले अपनी बहस मे वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। पूर्व मे भी न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2022 को निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज हिस्से की आराजी में वादीगण को खातेदार अधिकार प्रदान किये गये है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 81 के ख.न. 311 रकबा 0.0379 है0 गैर0 मु0 चाह, खाता सं0 82 के ख0न0 301, 308, 309 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7587 है0 भूमि वाके ग्राम मोरडी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता/पति प्रेमचन्द पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज हिस्से की आराजीयात मे से प्रेमचन्द पुत्र मंगनलाल का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/7/24.
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)
उनवान

पदमचन्द पुत्र रतनलाल जाति महाजन/जैन निवासी ग्राम समेलिया तहसील फागी जिला दूदू हाल निवासी अजमेरी तहसील मालपुरा जिला टोंक वगै0।

बनाम

दीपेश जैन पुत्र प्रेमचन्द जाति महाजन/जैन नि0 1312 किशनपोल बाजार जयपुर वगै0।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–
मु0न0:– 44 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री विनोद कुमार जैन हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री दिलीप सिंह नरूका मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 81 के ख.न. 311 रकबा 0.0379 है0 गैर0 मु0 चाह, खाता सं0 82 के ख0न0 301, 308, 309 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7587 है0 भूमि वाके ग्राम मोरडी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान में स्थित आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता/पति प्रेमचन्द पुत्र मगनलाल हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज हिस्से की आराजीयात मे से प्रेमचन्द पुत्र मंगनलाल का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

निज.......X.......मुवलिग.......X.......बावत.......—.......खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....—.......फीसदी.......—.......सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....—.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/07/2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला-दूदू

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला-दूदू